1	2	3	4
	UTTAR PRADESH :		
1.	Soil and Water conservation plan for Jhansi distt.	390.00	156.00
2.	Uttaranchal Fodder Grass and Seed production	294.00	35.00
3.	Special IAY project in Banda distt. . WEST BENGAL :	345.24,	135.09
1.	Special Employment Scheme in Suderban Region	2500.00	700.00
	TOTAL :	8366.19"	2629.47

Rural Housing Schemes in Gujarat

4026. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had allocated an additional loan of Rs. 162.80 lakhs for the year 1993-94 to Gujarat for the rural housing schemes and construction of houses for the weaker sections of the society in the State,"

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of houses constructed and allotted to the weaker section so far;

(d) whether the additional loan allocated to the State is sufficient to meet housing problem of the weaker sections in the State;

(e) if not, the steps taken by Government in this regard ; and

(f) the funds allocated for the above purpose during the year 1994-95 and in the Eighth Five Year Plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) and (b) During the year 1993-94", an amount of Rs. 176.00" lakhs has been released to Gujarat for supplementing and enhancing the efforts of its rural housing schemes for people below poverty line and weaker sections of the society. This amount is grant-in-aid to the State and not the loan. This amount is meant for rural housing schemes in state sector for weaker sections and for people below poverty line.

(c) Under Indira Awas Yojana which is a sub-scheme of Jawahar Rozgar Yojana, 43,830 houses have been constructed for SCs/STs and freed bonded labourers since 1985.

(d) and (e) The assistance given to Gujarat in 1993-94 is not loan, but grant-in-aid. It will help the State Government to ensure more resources for their rural housing schemes for people below poverty line and weaker sections of the society.

(f) During the Eighth Plan period, a provision of Rs. 350.00 crores has been made for rural housing scheme for people below poverty line and weaker sections of the sociey. A provision of Rs. 30 crores has been made during 1994-95 for this scheme which will be allocated to the States on the basis of prescribed guidelines/criteria.

रोजगार योजना का कार्य

4027. श्री राम जेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1994 के "हिन्दु" दैनिक में "रोजगार योजना अनसेटिस-फेक्टरी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि रोजगार योजना के कार्यान्वियन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) जी, हाँ। दिनांक 17-3-1994 को "दि हिन्दु" में जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित समाचार, 1991-92 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 10 राज्यों के 20 जिलों,

40 ग्राम पंचायतों और 598 जवाहर रोजगार योजना लाभार्थियों के सम्बन्ध में किये गए सर्वेक्षण के बारे में है । चूंकि इस अध्ययन में केवल 40 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया था इसलिए नमूना आकार देश में कुल ग्राम पंचायतों का 0.02 प्रतिशत बैठता है । यह नमूना इतना छोटा था कि यह सही मायनों में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । इसलिए एक बड़े नमूना आकार के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन का सही मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में देश के सभी जिलों में प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं की मार्फत जवाहर रोजगार योजना का एक समवर्ती मूल्यांकन करवाया है । मूल्यांकन में सामान्य तौर पर रोजगार सृजन, सृजित परिसंपत्तियों के स्वरूप उनसे समाज को मिलने वाले लाभों के प्रभाव और विशेष तौर पर गरीब वर्गों पर प्रभाव तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के कल्याण के लिए जवाहर रोजगार योजना का योगदान मुख्य बिन्दु थे ।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गए अध्ययन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराये गए समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों और साथ ही मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि उन दोनों में, जहां अधिक बेरोजगारी है, वहां जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बनाया जाए । तदनुसार, योजना आयोग के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयन किये गए देश के 120 पिछड़े जिलों में जवाहर रोजगार योजना को गहन बनाया गया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों के उपयोग और जवाहर रोजगार योजना की कार्य-प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कुछेक परिवर्तन भी किये गए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना की निधियों के उपयोग तथा इसके प्रभावी निष्पादन के संबंध में 1993-94 में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :—

1. कम से कम 2546 करोड़ रुपए, जो वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के लिए संशोधित बजट आबंटन था, के आधार पर एक वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के तहत आबंटित निधियों की 75% निधियां, अब निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार व्यापक रूप से देश भर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल की जाएंगी ।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम परिणामों के आधार पर नवीनतम उपलब्ध गरीबी आकलनों के अनुसरण में देश में कुल ग्रामीण आबादी और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियां आबंटित की जानी जारी रहेंगी । तथापि, किसी जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के [साथ राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या के] अनुपात को समान तरजीह देने तथा कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन आधार पर तैयार किये गये पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार राज्य से जिलों को निधियों का आबंटन किया जायेगा ।

3. जवाहर रोजगार योजना की उप योजनाएं अर्थात् दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना जारी रहेंगी । तथापि, दस लाख कुओं की योजना के लिए निधियों को वर्तमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक कर दिया जायेगा तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब, छोटे तथा सीमान्त किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले कुल वित्तीय आबंटन के लाभ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक न हों । इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मकानों के निर्माण के लिए निधियों को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा तथा इसमें गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों (मुक्त बंधुआ मजदूरों को छोड़कर) को मिलने वाले लाभ कुल आबंटन के 4% से अधिक न हों ।

4. कम से कम 700 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 20% निधियां देश के विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े जिलों, जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की अधिकता है, में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल किये जाएंगे । इस प्रयोजन हेतु संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां दी जाएंगी जो जिलों में अत्यधिक बेरोजगारी और अल्परोजगारी वाले क्षेत्रों का चयन करेंगी ताकि इन क्षेत्रों में गहन जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जा सके ।

5. अधिकतम 75 करोड़ रुपये के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 5% निधियां ऐसी योजनायें शुरु करने के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिला रोजगार में वृद्धि करना है, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर रोक लगाना तथा वाटर शेड विकास/बंजरभूमि विकास करना है जिसके परिणामस्वरूप सतत् रोजगार प्राप्त होता है ।

6. मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक के लिए खर्च को विद्यमान 60:40 के अनुपात में रखा गया है लेकिन कुल मजदूरी के 10% की अधिकतम सीमा के आधार पर अकुशल मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक के अंतर्गत शामिल करने की अनुमति है ।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के बारे में मेहता समिति

4028. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री विरेन जे० शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई थी और उसने सुधार के बारे में अपनी सिफारिशें कब दी थी और क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं और उसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) अक्तूबर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी । समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़े हुए गांव

4029. **श्री राघव जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं, जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं;

(ख) इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान करेगी; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1992-93 के अन्त तक मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे 1900 गांव थे जिन्हें बारहमासी सड़कों से नहीं जोड़ा गया था ।

(ख) और (ग) गांवों को सड़कों से जोड़ना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है । ग्रामीण सड़कों के लिए निधियां राज्य/योजना/बजट में उपलब्ध कराई जाती हैं । योजना आयोग न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए निधियां निर्धारित करता है ताकि इन निधियों के अन्य सड़क योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च किये जाने को रोका जा सके ।

Supply of Drinking Water in Andhra Pradesh

4030. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any special programme for drinking water supply in villages would be implemented for the dry and scanty rain-fed area in Andhra Pradesh;

(b) whether Government are aware of the need to implement special programmes in Nalgonda, Warangal, Karim Nagar and other districts of Andhra Pradesh; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

The Schemes for drinking water supply in rural areas are implemented under the normal plan Programmes of Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission/Accelrated Rural Water Supply Programme and Minimum Needs Programme.

Non-operating XRF unit at CFRI, Dhanbad

4031. SHRI A. NALLASIVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Central Fuel Research Institute, Dhanbad purchased one XRF